कार्यालय : वन प्रमण्डल पदाधिकारी, धनबाद वन प्रमण्डल।

(मिश्रित भवन, लुबी सर्कुलर रोड, धनबाद)

0326-2313385 Email– dfodhanbad@gmail.com

9471192101, 8987790305 dfo-dhanbad@gov.in

पत्रांक :– 1107 दिनांक :– 15. 05. 2025

सेवा में,

वन संरक्षक,
प्रादेशिक अंचल,
बोकारो।

विषय :– मेसर्स बी0सी0सी0एल0 की मुराईडीह कोलियरी परियोजना हेतु कुल 133.69 हे0 (46.17 हे0 वनभूमि एवं 87.52 हे0 जंगल–झाड़ी) वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव के संबंध में।

प्रसंग :– प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची का पत्रांक– 106 दिनांक– 03.02.2023, भवदीय का कार्यालय ज्ञापांक – 145 दिनांक– 08.02.2023 एवं पत्रांक– 428 दिनांक– 02.05.2025

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची के प्रासंगिक पत्र द्वारा मेसर्स बी0सी0सी0एल0 के मुराईडीह कोलयरी परियोजना हेतु कुल 133.69 हे0 वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव केक्रम में कुल 6 बिन्दुओं पर पृच्छा करते हुए प्रतिवेदन समर्पित करने का निर्देश दिया गया था, जिसका निराकरण प्रतिवेदन इस कार्यालय के पत्रांक– 931 दिनांक– 19.04.2025 द्वारा समर्पित किया गया है। भवदीय के पत्रांक– 428 दिनांक– 02.05.2025 द्वारा उक्त निराकरण प्रतिवेदन केक्रम में कुल 8 बिन्दुओं पर पृच्छा की गई है। प्रयोक्त अभिकरण परियोजना पदाधिकारी, मुराईडीह कोलियरी परियोजना, बी0सी0सी0एल0 के पत्रांक– 735 दिनांक– 06.05.2025 द्वारा उक्त पृच्छा का निराकरण प्रतिवेदन समर्पित किया गया है। बिन्दुवार निराकरण प्रतिवेदन निम्नवत है :–

क्र0 सं0	पृच्छा बिन्दु	प्रयोक्ता अभिकरण का प्रतिवेदन	वन प्रमण्डल पदाधिकारी का मंतव्य
1.	**पृच्छा संख्या– 1** :– विषयगत परियोजना हेतु 87.52 हे0 जंगल–झाड़ी दर्ज भूमि प्रतिवेदित की गई है, परन्तु आयुक्त, हजारीबाग के द्वारा मात्र 25.19 हे0 जंगल–झाड़ी दर्ज भूमि का अनापत्ति प्रमाण–पत्र निर्गत किया गया है।	• विषयगत परियोजना में जंगल झाड़ी का रकवा 87.52 हे0 अपयोजन हेतु प्रस्तावित है। मुराईडीह वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव में सम्मिलित 133.69 हे0 वनभूमि में 1964 के बिहार गजट के अनुसार 46.17 हे0 अधिसूचित वनभूमि है एवं अंचल अधिकारी बाघमारा द्वारा सत्यापित Land Schedule (Annexure- I) के अनुसार 87.52 हे0 जंगल झाड़ी है। • इस सन्दर्भ में विदित हो कि अंचल अधिकारी बाघमारा द्वारा सत्यापित Land Schedule एवं बाघमारा अंचल के गैर–मजरूआ खाता की सूची के अनुसार 87.52 हे0 जंगल झाड़ी में से 51.96 हे0 गैर–मजरूआ जंगल झाड़ 35.56 हे0 रैयती जंगल–झाड़ है।	प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा बताया गया है कि उपायुक्त, धनबाद के अनुसार बरोरा मौजा का रकवा– 5.15 एकड़ एवं बरमसिया मौजा का रकवा– 55.74 एकड़ गैर मजरूआ जंगल–झाड़ भूमि का स्वामित्व RS में रैयती एवं BCCL का रहने के कारण उसका अनापत्ति प्रमाण–पत्र निर्गत नहीं किया गया है।

		• झारखण्ड सरकार के संकल्प 1817 दिनांक 30.04.2015 (Annexure- II) के अनुसार गैर–मजरूआ जंगल–झाड़ भूमि का अनापत्ति उपायुक्त/प्रमण्डलीय आयुक्त से लेना आवश्यक है, जिसके आलोक में उपायुक्त, धनबाद एवं आयुक्त, हजारीबाग को 51.96 हे0 गैर–मजरूआ जंगल–झाड़ भूमि का अनापत्ति निर्गत करने हेतु आवेदन दिया गया। (Annexure- III) • अंचल अधिकारी, बाघमारा (धनबाद) के द्वारा पत्रांक 1505 दिनांक 20.12.2023 (Annexure- IV) में यह स्पष्ट किया गया है कि मुराईडीह वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव में सम्मिलित गैर–मजरूआ जंगल–झाड़ भूमि में से गत खाता का प्रस्तावित रकवा बरोरा मौजा का 12.08 एकड़ (4.89 हे0) भूमि एवं बरमसिया मौज का 116.28 एकड़ (47.07 हे0) भूमि में रूपांतरित होकर हाल खाता में बरोरा मौजा का 6.93 एकड़ भूमि एवं बरमसिया मौजा का 60.54 एकड़ भूमि अनाबाद बिहार सरकार में नाम से (गैर–मजरूआ) बनी है। • बरोरा मौजा का शेष रकवा 5.15 एकड़ एवं बरमसिया मौजा का शेष रकवा 55.74 एकड़ गैर–मजरूआ जंगल–झाड़ भूमि को रैयती/बी0सी0सी0एल0/वनभूमि बिहार सरकार आदि का रहने के कारण मूल्यांकन में गणना हेतु शामिल नहीं किया गया है इसलिए अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु उपायुक्त कार्यालय द्वारा Consider नहीं किया गया है। (Annexure- IV) अतः अंचल अधिकारी, बाघमारा के मांग पत्र संख्या 1505 दिनांक 20.12.2023 एवं इससे संबंधित प्रयोक्ता अभिकरण एवं उपायुक्त, धनबाद के सभी पत्राचारों (Annexure- V) से कुल रकवा 25.94 हे0 (64.12 एकड़) भूमि का ही अनापत्ति प्रमाण पत्र आयुक्त, हजारीबाग द्वारा निर्गत किया गया है।	
2.	**पृच्छा संख्या– 3** :– विषयगत परियोजना हेतु 87.52 हे0 जंगल–झाड़ी दर्ज भूमि (51.96 हे0 गैर मजरूआ जंगल–झाड़ी एवं 35.56 हे0 रैयती जंगल–झाड़ी) प्रतिवेदित	• मुराईडीह वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव में सम्मिलित 133.69 हे0 वनभूमि में 1964 के बिहार गजट के अनुसार 46.17 हे0 अधिसूचित वनभूमि है एवं अंचल अधिकारी, बाघमारा द्वारा सत्यापित Land Schedule के अनुसार 87.52 हे0 जंगल झाड़ी है।	उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी, धनबाद के ज्ञापांक– 1407 दिनांक 11.04.2022 से निर्गत प्रमाण–पत्र में अंकित किया गया है कि 25.10.1980 को वर्णित भूमि का किस्म क्या

	की गई है। "उपायुक्त के ज्ञापांक 1407 दिनांक 11.04.2022 के अनुसार उक्त भूमि वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के परियोजन हेतु वनभूमि के श्रेणी में नहीं आती है" इस संदर्भ में सभी साक्ष्य/अभिलेखों के साथ सुस्पष्ट मंतव्य समर्पित किया जाय।	झारखण्ड सरकार द्वारा निर्गत परिपत्र के पत्रांक संख्या– 05/स0भू0 लातेहार (विविध)– 181/18 (छाया संचिका)– 4715 व0 प0, राँची, दिनांक– 27/11/2018 (Annexure- VI) के अनुसार उपायुक्त, धनबाद द्वारा ज्ञापांक 1407 दिनांक 11.04.2022 को प्रपत्र। (Annexure- VII) में यह प्रमाणित किया गया है कि (पृष्ठ सं0– 04–42) में पड़ने वाली भूमि की विवरणी कैडेस्ट्रल सर्वे (CS)/25.10.1980 के पूर्व प्रकाशित अंतिम रिवीजनल सर्वे (RS) का अभिलेख के हिसाब से उपलब्ध नहीं हो पाया है। (Annexure- VIII)	था यह पता नहीं चल पा रहा है। संबंधित भूमि का अभिलेख वर्ष 2005 में प्रकाशित वर्तमान रिवीजनल सर्वे के आधार पर अंचल अधिकारी, बाघमारा द्वारा उपलब्ध कराया गया है। परन्तु अंचल अधिकारी, बाघमारा द्वारा सत्यापित Land Shedule एवं बाघमारा अंचल के गैर मजरूआ खाता की सूची के अनुसार 87.52 हे0 जंगल–झाड़ी में से 51.96 हे0 गैर मजरूआ जंगल–झाड़ तथा 35.56 हे0 रैयती जंगल–झाड़ है। अतः प्रस्तावित सम्पूर्ण भूमि वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत Applicable है।
3.	पार्ट–I बिन्दु संख्या– C (ii) a "No. of patches" में Patch के रकवा तथा KML के रकवा में भिन्नता है।	पार्ट–I बिन्दु संख्या– C (ii) a "No. of patches" में Patch के रकवा तथा KML के रकवा में भिन्नता को आवश्यक सुधार कर PARIVESH Portal पर upload कर दिया गया है। • Patch no. 1 का रकवा 5.79 हे0 जबकि Google earth में 5.88 हे0 दिखा रहा है जिसका कारण forest patch के अन्दर non forest land patch का होना है, Arc GIS/ किसी भी अन्य GIS software में Patch no. 1 का रकवा 5.79 हे0 ही दिखा रहा है। • Patch no. 4 का रकवा 14.92 हे0 जबकि Google earth में 15.3 हे0 दिखा रहा है जिसका कारण forest patch के अन्दर non forest land patch का होना है, Arc GIS/ किसी भी अन्य GIS software में Patch no. 4 का रकवा 15.92 हे0 ही दिखा रहा है।	प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा KML में आवश्यक सुधार कर PARIVESH Portal पर upload कर दिया गया है।
4.	पार्ट–I बिन्दु संख्या– K (i) में FRA Certificate/ Undertaking upload नहीं किया गया है।	पार्ट–I बिन्दु संख्या– K (i) में FRA Certificate में Undertaking upload कर दी गयी है। (Annexure- IX)	प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा FRA Certificate में Undertaking upload कर दी गई है।
5.	पार्ट–II बिन्दु संख्या–5 में "Prescribed working plan prescription" अंकित नहीं है।	—	पार्ट–II बिन्दु संख्या–5 में "Prescribed working plan prescription" अंकित कर दिया गया है। संशोधित पार्ट–II की प्रति संलग्न है।
6.	पार्ट–II बिन्दु संख्या–6 में "vulnerability of the forest area to erosion" में less vulnerable	—	प्रस्तावित भूमि के वर्तमान स्थिति के अनुसार यह Site Vulnerable to Soil

	अंकित है, स्पष्ट करें। चूँकि प्रस्तावित परियोजना कोयला खनन परियोजना है।		erosion है, अतः Soil and Moisture Conservation Plan की अनुशंसा की जाती है। सूचना पार्ट–II बिन्दु संख्या–6 में अंकित कर दिया गया है। संशोधित पार्ट–II की प्रति संलग्न है।
7.	पार्ट–II बिन्दु संख्या–7 में वन सीमा से दूरी 1.6 कि0मी0 अंकित की गई है। परन्तु विषयगत परियोजना के लिए वनभूमि अधिग्रहण की जा रही है।	—	पार्ट–II बिन्दु संख्या–7 में आवश्यक संशोधन कर दिया गया है। संशोधित पार्ट–II की प्रति संलग्न है।
8.	पार्ट–II बिन्दु संख्या–8 (i) विषयगत परियोजना 133.69 हे0 वनभूमि अपयोजित की जानी है, जिसमें वन्यजीवों का आवासन स्वाभाविक है, परन्तु आपके द्वारा वन्यजीवों का प्रकार अंकित नहीं किया गया है।	—	पार्ट–II बिन्दु संख्या–8 (i) में आवश्यक संशोधन करते हुए आवासित वन्यजीवों का प्रकार अंकित कर दिया गया है। इसके लिए Integrated Wildlife Mangement Plan की अनुशंसा की जाती है।

अतः प्राप्त निराकरण प्रतिवेदन की छः प्रतियॉ संलग्न समर्पित करते हुए अनुरोध है आवश्यक अग्रेत्तर कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन

अनु0–यथोक्त।

Vikas 15/5/25

वन प्रमण्डल पदाधिकारी,
धनबाद।

15/05/2025

Pen drive /C.A./Letter 2022